राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27( ) ग्राविवि–5/लेखा/ड्राफ्टपैरा/नि.ले.प./18–19 जयपुर, दिनांक 07 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2020

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के आवासों के साथ अनिवार्य रूप से शौचालय निर्माण करवाये जाने के कम में ।

प्रसंग :– निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण, पंचायती राज विभाग के अ.शा.टीप क्रमांक एफ 4 पराvि/SBM-G/20–21/1283 दिनांक 31.8.2020 ।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के कियान्वयन फ्रेमवर्क के बिन्दु संख्या 8.1.'क' के अनुसार शौचालय का निर्माण आवास निर्माण के साथ अनिवार्य भाग के रूप में किया जाना है। आवास का निर्माण तभी पुरा माना जावेगा जब उसमें शौचालय का निर्माण किया गया हो। इस हेतु पुर्व आदेशों की निरन्तरता में पुनः लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवास के साथ शौचालय निर्माण हेतु प्रौत्साहन राशि का प्रावधान हैं एवं इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा योजना से भी शौचालय निर्माण अनुमत है।

वर्तमान ~~में~~ स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण के अंतर्गत LOB व NOLB गतिविधि के अंतर्गत शौचालय निर्माण स्वीकृत किये जा रहे है। इस कम में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग के प्रासंगिक टीप द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के लाभार्थी जिनका नाम बेस लाईन सर्वे सूची मे शामिल नहीं था उन परिवारो को LOB योजना में शामिल कर लाभान्वित किया गया है । उक्त के उपरान्त भी वर्तमान में नये परिवार एवं नये घर निर्माण पर शौचालय निर्माण हेतु शौचालय से वंचित परिवारों को NOLB योजना में पंजीकृत कर लाभान्वित किया जा रहा है। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत निर्मित आवासों के साथ अनिवार्य रूप से शौचालय का निर्माण सुनिश्चित किया जावे।

योजनान्तर्गत लाभार्थियों को महात्मा गांधी नरेगा से 90 श्रम दिवसों के मजदूरी घटक के रूप में सहयोग भी अनिवार्य रूप से दिलवाया जाना सुनिश्चित करावे एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अथवा किसी प्रकार की अन्य योजना से स्वच्छ पेयजल, केन्द्र सरकार की योजनाओं से बिजली कनेक्शन, LPG कनेक्शन, खंरजा वाले रास्तें, एप्रोच रोड, LPG गैस स्टेण्ड (पट्टी) सामाजिक सुरक्षा पेनशन, श्रमिक कार्ड एवं अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का नियमानुसार लाभ भी उपलब्ध कराने के प्रयास किये जावे।

2/9/20
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. उप महा निदेशक, (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

ACP (IT) to upload on website

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

D:\Letter PMAY-G New SI.docx

03/9/2020
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि.)